



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं० पटना 570) पटना, सोमवार, 8 जून 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

3 जून 2026

बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियम 2026

सं० 18/ विविध-18/2025/555(18)/स्वास्थ्य—भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना और निबंधन को विनियमित करने के लिए यह विनियम बनाते हैं।

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

- (1) इस विनियम को बिहार लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं निबंधन) विनियम 2026 कहा जाएगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह बिहार राज्य के सभी लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
- (3) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
- (4) यह विनियम भारत सरकार के नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 अथवा बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 का भाग नहीं होगा।

2. परिभाषाएँ—जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में—

- (क) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस विनियम के प्रावधान 4 के अन्तर्गत स्थापित जिला पंजीकरण प्राधिकार,
- (ख) "औपबंधिक पंजीकरण प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है इस विनियम के प्रावधान 9 के अंतर्गत जारी अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र,
- (ग) "स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है इस विनियमन के प्रावधान 22 के अंतर्गत जारी स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र,
- (घ) "स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान या लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान" से अभिप्रेत है— (i) 1-40 बेड की क्षमतावाला कोई हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, सेनेटोरियम, जिसमें डे-केयर मेडिकल सर्विसेज/ओपीडी० क्लिनिक्स/डिस्पेंसरी/डेंटल क्लिनिक्स/डायग्नोस्टिक सेवा हो या न हो, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मैलिटी या प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोसिस, उपचार या केयर की

जरूरत वाली सर्विसेज, फैंसिलिटीज देता हो, जिसे किसी व्यक्ति या लोगों के ग्रुप ने बनाया और चलाया या अनुरक्षित किया हो, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या

(ii) उप प्रावधान (i) में निर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठान के एक स्वतंत्र इकाई या भाग के रूप में स्थापित स्थान, रोगों के निदान या उपचार के संबंध में, जहाँ प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सा उपकरणों की सहायता से रोग संबंधी, जीवाणु संबंधी, आनुवंशिक, रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक जाँच या अन्य नैदानिक या जाँच सेवाएँ आमतौर पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, की जाती हैं, स्थापित की जाती हैं और प्रशासित या अनुरक्षित की जाती हैं, या

(iii) व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह—चाहे वह निगमित हो या न हो—द्वारा स्थापित, प्रशासित या अनुरक्षित स्वतंत्र OPD क्लिनिक/डिस्पेंसरी/दंत चिकित्सा क्लिनिक।

और इसमें निम्नलिखित के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाला लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान शामिल होगा —

- (क) सरकार अथवा सरकार का कोई विभाग;
- (ख) कोई न्यास, चाहे सार्वजनिक हो अथवा निजी;
- (ग) केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम/नियम के तहत पंजीकृत एक निगम (सोसाइटी सहित), चाहे वह सरकार के स्वामित्व में हो अथवा नहीं;
- (घ) एक स्थानीय प्राधिकरण; और
- (च) एकल डॉक्टर,

लेकिन इसमें सशस्त्र बलों के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाले लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान शामिल नहीं हैं।

- (ङ) "मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली" से तात्पर्य है एलोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणाली अथवा कोई अन्य चिकित्सा प्रणाली, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता दी जाए।
- (च) "हेल्थकेयर प्रैक्टिशनर" से तात्पर्य है एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर जिसे राज्य या राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो, जैसे निदान और उपचार और मान्यता प्राप्त प्रणालियों (जैसे, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी) में योग्यता रखते हों और संबंधित सरकारी चिकित्सा परिषदों के साथ पंजीकृत हों।
- (छ) "रजिस्टर" से तात्पर्य है प्राधिकरण द्वारा बनाए गए रजिस्टर से है, जिसमें इस विनियम के प्रावधान 27 के तहत पंजीकृत लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों की संख्या शामिल हो।
- (ज) "पंजीकरण" का तात्पर्य है पंजीकरण प्राधिकार के साथ इस विनियम के प्रावधान 5 के अंतर्गत पंजीकरण करना।
- (झ) "विनियम" से तात्पर्य है बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा स्थापना (स्थापना एवं निबंधन) विनियम, 2026।
- (ञ) "मानकों" से तात्पर्य उन शर्तों से है जैसा कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए निर्धारित किया जाय।
- (त) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है बिहार सरकार।
- (थ) "निदेशालय" से तात्पर्य है स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, बिहार।
- (द) "अनुलग्नक" से तात्पर्य है इस विनियमन के साथ संलग्न अनुलग्नक।

अध्याय II

लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए राज्य परिषद और जिला पंजीकरण प्राधिकार

3. लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान हेतु राज्य परिषद—

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान हेतु राज्य परिषद का गठन करेगी

(2) राज्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: —

- (क) विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग—पदेन अध्यक्ष;
- (ख) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निदेशक प्रमुख (प्रशासन)—पदेन सदस्य
- (ग) एक आयुष चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित)—सदस्य
- (घ) एक उप-सचिव स्तर का अधिकारी (स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित)—सदस्य सचिव
- (ङ) आईएमए का एक प्रतिनिधि—सदस्य

(3) राज्य परिषद के मनोनीत सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, परंतु वे पुनः नामांकन के पात्र नहीं होंगे। आयुष चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन आयुष के विभिन्न विधाओं से चक्रीय आधार पर किया जाएगा।

(4) राज्य परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्: —

- (क) लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का राज्य रजिस्टर संकलित और अद्यतन करना;
 (ख) प्राधिकार के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई; और
 (ग) राज्य में मानकों के क्रियान्वयन की स्थिति पर वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करना।

4. पंजीकरण के लिए प्राधिकार—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए, प्रत्येक जिले के लिए, जिला पंजीकरण प्राधिकार के नाम से एक प्राधिकार की स्थापना करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा: —

- (क) संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी — अध्यक्ष
 (ख) संबंधित जिले के जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी — सदस्य
 (ग) आईएमए का एक प्रतिनिधि — सदस्य

5. स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण—कोई भी व्यक्ति तब तक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान नहीं चलाएगा जब तक कि वह इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत पंजीकृत न हो।

6. पंजीकरण के लिए शर्त—(1) पंजीकरण और इसे जारी रखने के लिए, प्रत्येक लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात: —

- (i) सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक, कर्मियों की न्यूनतम आवश्यकता तथा अभिलेखों के रखरखाव और रिपोर्टिंग के लिए प्रावधान स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा अलग आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा;
 (ii) ऐसी अन्य शर्तें जो स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा अलग आदेश द्वारा निर्धारित की जाय;
 (iii) स्वास्थ्य सेवा संस्थान के कार्य घंटों के दौरान, संबंधित मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति का कम से कम एक "हेल्थकेयर प्रैक्टिशनर" उपलब्ध होना चाहिए। ड्यूटी पर तैनात "हेल्थकेयर प्रैक्टिशनर" का नाम इस प्रकार प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि उस संस्थान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

7. लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का वर्गीकरण—(1) विभिन्न प्रणालियों के लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को ऐसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाय।

(2) ऊपर उप-प्रावधान (1) में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए भिन्न-भिन्न मानक निर्धारित किए जा सकेंगे।

अध्याय III

पंजीकरण की प्रक्रिया

8. औपबंधिक पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन—

- (1) औपबंधिक पंजीकरण के उद्देश्य से, अनुलग्नक 1 में दिए गए प्रपत्र में प्राधिकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन के साथ 500 रुपये का शुल्क और अनुलग्नक 1 में निर्धारित विवरण संलग्न होने चाहिए।
 (2) आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
 (3) यदि कोई स्वास्थ्य सेवा स्थापन इस विनियम के प्रारंभ के समय या इस विनियमन के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण सेवा प्रारंभ होने से पहले अस्तित्व में है, तो उसके औपबंधिक पंजीकरण के लिए आवेदन इस विनियम के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण सेवा प्रारंभ होने की तिथि से तीन महीने के भीतर किया जाएगा और एक नया स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान जो इस विनियमन के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण सेवा प्रारंभ होने के बाद अस्तित्व में आता है, उसे स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान शुरू होने से पहले औपबंधिक पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
 (4) यदि कोई लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 के अन्तर्गत पूर्व से ही पंजीकृत है तो वह इस विनियम के अन्तर्गत पंजीकृत माना जायेगा।

और यह भी कि, यदि कोई लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यमान कानून के अन्तर्गत पहले से ही पंजीकृत है, तो भी उसे उप-प्रावधान (1) में संदर्भित अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

9. औपबंधिक पंजीकरण का प्रमाणपत्र—प्राधिकार, ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, आवेदक को अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न प्रारूप में औपबंधिक पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। यदि प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर औपबंधिक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान को औपबंधिक रूप से पंजीकृत माना जाएगा।

10. औपबंधिक पंजीकरण से पूर्व कोई जांच नहीं — प्राधिकार औपबंधिक पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व कोई जांच नहीं करेगा।

11. औपबंधिक पंजीकरण की वैधता—प्रत्येक अस्थायी पंजीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और ऐसे पंजीकरण को अगले दो बार, प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित प्राधिकार से स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

- 12. पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रदर्श**—प्रमाण-पत्र को स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान में किसी ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्श किया जाएगा, जिससे कि उस प्रतिष्ठान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह दिखाई दे।
- 13. डुप्लीकेट प्रमाण पत्र**—यदि प्रमाण पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो प्राधिकार, स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के अनुरोध पर और 500 रुपये का शुल्क जमा करने पर, एक डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- 14. पंजीकरण प्रमाण पत्र का अहस्तांतरणीय होना**—(1) पंजीकरण प्रमाण पत्र अहस्तांतरणीय होगा।
 (2) स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन की स्थिति में, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान 30 दिनों के भीतर ऐसे बदलाव की सूचना प्राधिकार को देगा।
 (3) श्रेणी या स्थान के परिवर्तन की स्थिति में या लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करना बंद करने पर, ऐसे लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राधिकार को समर्पित कर दिया जाएगा और लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा।
- 15. पंजीकरण की समाप्ति का प्रकाशन**—प्राधिकार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 31 दिसंबर तक उन लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के नाम प्रकाशित करेगा, जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है या निलंबित या रद्द कर दिया गया है।
- 16. पंजीकरण का नवीनीकरण** — अस्थायी पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन, अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से तीस दिन पहले, 500 रुपये की फीस के साथ किया जाएगा; और यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्थायी पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बाद किया जाता है, तो प्राधिकार 500 रुपये की फीस और 500 रुपये की विलंब शुल्क के भुगतान पर पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देगा।
- 17. स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन**—किसी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान द्वारा स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन अनुलग्नक 1 में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार को किया जाएगा और इसके साथ 500 रुपए का शुल्क भी संलग्न होगा।
- 18. आवेदन का सत्यापन**—स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित तरीके से, निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- 19. आपत्तियों की सूचना**—यदि किसी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के विरुद्ध आवेदन के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी आपत्तियों की सूचना उस स्वास्थ्य सेवा संस्थान को 45 दिनों की अवधि के भीतर जवाब देने के लिए दी जाएगी; ऐसा न करने पर, आवेदन/पंजीकरण रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
- 20. स्थायी पंजीकरण के लिए मानक**—स्थायी पंजीकरण केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब कोई लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान निर्धारित पंजीकरण मानकों को पूरा करता हो। स्वास्थ्य विभाग, बिहार पंजीकरण मानकों का निर्धारण कर सकेगा।
- 21. पंजीकरण की अनुमति देना या न देना**—प्राधिकार निर्धारित अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद और उसके बाद अगले तीस दिनों के भीतर निम्नलिखित के संबंध में आदेश पारित करेगा—
 (क) स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन को मंजूरी देना; या
 (ख) आवेदन को अस्वीकृत करना:
 परन्तु यह कि, प्राधिकार आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, संस्थान को अपनी बात रखने का उचित अवसर देगा। यह अस्वीकृति एक तर्कसंगत आदेश पारित करके प्रभावी की जाएगी।
- 22. स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र**—(1) यदि प्राधिकार, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन को स्वीकार करता है, तो वह निर्धारित प्रपत्र में, जिसे अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न किया गया है, स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
 (2) यह प्रमाण पत्र तब तक स्थायी प्रकृति का रहेगा, जब तक कि इसे जारी करने वाले प्राधिकार द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।
- 23. स्थायी पंजीकरण के लिए नया आवेदन**—स्थायी पंजीकरण के लिए किसी आवेदन को अस्वीकार किए जाने से, कोई लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान, स्थायी पंजीकरण के लिए फिर से आवेदन करने से वंचित नहीं होगा; बशर्ते वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे (जैसा कि अपेक्षित हो) कि उसने उन कमियों को दूर कर लिया है जिनके आधार पर उसका पिछला आवेदन अस्वीकार किया गया था।
- 24. पंजीकरण रद्द करना**—(1) यदि, किसी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकृत होने के बाद किसी भी समय, प्राधिकार को यह विश्वास हो जाता है कि —
 (क) पंजीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है; या
 (ख) स्वास्थ्य सेवा संस्थान के प्रबंधन का दायित्व जिस व्यक्ति को सौंपा गया था, उसने गलत या भ्रामक जानकारी दी है,
 तो वह उस स्वास्थ्य सेवा संस्थान को एक नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें यह बताने के लिए कहा जाएगा कि नोटिस में उल्लिखित कारणों के आधार पर, इस विनियम के तहत उसका पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

- (2) यदि लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान को उचित अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकार संतुष्ट हो जाता है कि इस विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक आदेश द्वारा उसका पंजीकरण रद्द कर सकता है।
- (3) ऊपर के उप-प्रावधान 24(2) के तहत दिया गया हर आदेश प्रभावी होगा -
- (क) जहाँ ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है या अपील करना नहीं चुना गया है, वहाँ उस अवधि के समाप्त होते ही, जो प्राधिकार द्वारा ऐसी अपील के लिए तय की गई है; और
- (ख) जहाँ ऐसी अपील की गई है और उसे खारिज कर दिया गया है, वहाँ अपील खारिज करने के आदेश की तारीख से:

बशर्ते कि प्राधिकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर पंजीकरण रद्द करने के बाद, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को तुरंत काम करने से रोक सकता है, यदि मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कोई आसन्न खतरा हो।

25. प्रवेश करने की शक्ति—(1) किसी नैदानिक प्रतिष्ठान में प्रवेश और उसकी तलाशी, जिला प्राधिकार द्वारा, या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी या टीम द्वारा, या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए की जा सकती है। ऐसा निर्णय जिला प्राधिकार के सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाना आवश्यक होगा।

- (2) नैदानिक संस्थानों में ऐसी प्रविष्टि और तलाशी तब की जा सकती है, यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोई नैदानिक संस्थान चला रहा हो, या निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहा हो, या यह मानने का उचित कारण हो कि नैदानिक संस्थान का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिनके लिए वह पंजीकृत है, या वह इस विनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है; ऐसी स्थिति में, सभी उचित समयों पर, संस्थान में प्रवेश करके किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, उपकरण और वस्तुओं का निरीक्षण किया जा सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।
- (3) निरीक्षण दल, प्रतिष्ठान को लिखित रूप में दोरे की तारीख और निरीक्षण के कारणों के बारे में सूचित करेगी। दल, परिसर के उन सभी हिस्सों की जांच करेगी जिनका उपयोग नैदानिक प्रतिष्ठान के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही, वह उपकरणों, फर्नीचर और अन्य सहायक सामग्रियों का निरीक्षण करेगी, और कार्यरत या नियोजित किए जाने वाले तकनीकी कर्मचारियों की पेशेवर योग्यताओं के बारे में पूछताछ करेगी। इसके अलावा, टीम पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन में दिए गए बयानों को सत्यापित करने के लिए, ऐसी कोई भी अन्य पूछताछ कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे। प्रतिष्ठान के संचालन से जुड़े सभी व्यक्ति, निरीक्षण टीम को पूरी और सही जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे।
- (4) प्राधिकार द्वारा इस प्रकार गठित अधिकारी और/या निरीक्षण दल, निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर, उचित कार्रवाई हेतु प्राधिकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

26. अपील—(1) कोई भी व्यक्ति, जो पंजीकरण प्राधिकार के किसी ऐसे आदेश से पीड़ित है जिसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र देने या उसका नवीनीकरण करने से इनकार किया गया हो, या पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया हो तो, वह 30 दिनों के भीतर और निर्धारित प्रपत्र में (जो अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है) राज्य परिषद के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

परन्तु, राज्य परिषद निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की गई अपील पर भी विचार कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता किसी पर्याप्त कारणवश समय पर अपील प्रस्तुत करने से वंचित रह गया था।

- (2) उप-प्रावधान (1) के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील अनुलग्नक 3 में की जाएगी और उसके साथ 1000 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा।

अध्याय IV

स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का रजिस्टर

27. लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का रजिस्टर—(1) प्राधिकार अपनी स्थापना के एक वर्ष के भीतर, अपने द्वारा पंजीकृत छोटे और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का एक रजिस्टर डिजिटल प्रारूप में संकलित, प्रकाशित और अनुरक्षित करेगा और यह इस प्रकार जारी किए गए प्रमाण पत्र का विवरण, स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय, बिहार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और रीति से रखे जाने वाले एक रजिस्टर में दर्ज करेगा।

- (2) प्रत्येक प्राधिकार, जिसमें किसी अन्य ऐसे प्राधिकार को भी शामिल किया गया है, जिसे वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए स्थापित किया गया है, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति डिजिटल प्रारूप में "छोटे और मध्यम स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की राज्य परिषद" को उस रीति से उपलब्ध कराएगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जा

सकती है कि "राज्य रजिस्टर" राज्य में पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा रखे जा रहे रजिस्ट्रों के साथ निरंतर अद्यतन (up-to-date) बना रहे।

28. लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का राज्य रजिस्टर का रखरखाव—बिहार का स्वास्थ्य विभाग, डिजिटल रूप में और ऐसे प्रारूप में, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित विवरण शामिल हों, एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा, जिसे 'लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का राज्य रजिस्टर' के नाम से जाना जाएगा।

अध्याय V

दंड

29. दंड—जो कोई भी इस विनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, यदि कहीं और कोई दंड निर्धारित नहीं है तो, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा, उसे पहले उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने से, दूसरे उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने से और उसके बाद के उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

इसके बावजूद, यदि स्वास्थ्य सेवा संस्थान इस विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना जारी रखता है, तो उसका पंजीकरण तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि इस विनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर लिया जाता।

30. गैर-पंजीकरण के लिए आर्थिक दंड—(1) जो कोई भी बिना पंजीकरण के कोई स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान चलाएगा, वह पहली बार उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये के आर्थिक दंड का भागी होगा; दूसरी बार उल्लंघन करने पर पच्चीस हजार रुपये के आर्थिक दंड का भागी होगा; और इसके बाद किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा और प्राधिकार द्वारा "भारतीय न्याय संहिता" की सुसंगत धारा के तहत उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(2) प्राधिकार के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त निर्णय की तिथि से तीन महीने की अवधि के अन्दर राज्य परिषद को अपील कर सकता है।

31. निर्देशों की अवहेलना, बाधा डालना और जानकारी देने से इनकार करना—(1) जो कोई भी जान-बूझकर, इस विनियम के तहत निर्देश देने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा विधिपूर्वक दिए गए किसी निर्देश की अवहेलना करता है, या किसी व्यक्ति या प्राधिकार को उन कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, जिन्हें उस व्यक्ति या प्राधिकारी को इस विनियम के तहत पूरा करना आवश्यक या अधिकृत है, तो वह मौद्रिक दंड का भागी होगा, जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है।

(2) जो कोई भी, इस विनियम के तहत या इसके अधीन किसी जानकारी को देने के लिए बाध्य होने पर, जान-बूझकर ऐसी जानकारी को रोककर रखता है, या ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है कि वह झूठी है, या जिसे वह सच नहीं मानता है, तो वह आर्थिक दंड का भागी होगा, जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है।

(3) उप-प्रावधानों (1) और (2) के तहत निर्णय देने के उद्देश्य से, कोई भी मौद्रिक जुर्माना लगाने के लिए, प्राधिकार संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का उचित अवसर देने के बाद, निर्धारित तरीके से एक जांच करेगा।

(4) आर्थिक दंड की मात्रा निर्धारित करते समय, प्राधिकार स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान की श्रेणी, आकार और प्रकार, तथा उस क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे, जहाँ वह संस्थान स्थित है।

(5) प्राधिकार के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त निर्णय की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर राज्य परिषद को अपील कर सकता है।

(6) उपर्युक्त उप-प्रावधान (5) में निर्दिष्ट अपील फाइल करने का तरीका ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाएगा।

32. कम्पनियों द्वारा उल्लंघन—(1) जहाँ इस विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और जुर्माने का उत्तरदायी होगी:

परंतु इस उप-प्रावधान में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपर्युक्त उप-प्रावधान (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन किसी अधिकारी या भागीदार या निदेशक की सहमति या मिलीभगत से हुआ है या उनकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो उसे भी उस उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और वह जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए—"कंपनी" का अर्थ है एक निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ शामिल है।

33. सरकारी विभागों द्वारा उल्लंघन—(1) जहां इन विनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है, तो ऐसे सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का प्रमुख सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

बशर्ते कि इस प्रावधान में निहित कुछ भी ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के प्रमुख को किसी भी दंड का उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित तत्परता बरती थी।

(2) उप-प्रावधान (1) में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां इस विनियम के तहत कोई अपराध किसी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के प्रमुख के अलावा किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, ऐसे अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दंडित किया जा सकेगा।

34. जुर्माने की वसूली—जो कोई जुर्माना देने में असफल रहता है, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का राज्य परिषद अपने द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तैयार कर सकेगी जिसमें ऐसे व्यक्ति से देय जुर्माने का उल्लेख होगा और उसे उस जिले के कलेक्टर को भेज सकेगी जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी है या निवास करता है या अपना व्यवसाय करता है और उक्त कलेक्टर ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उसमें निर्दिष्ट राशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

अध्याय VI

प्रकीर्ण

35. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण—(1) इस विनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबंध में, किसी भी प्राधिकार या राज्य परिषद या जिला प्राधिकार के किसी सदस्य, या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) इस विनियम के प्रावधानों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के आशय से किए गए किसी भी कार्य के कारण हुई या होने की संभावना वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

36. विवरणियां आदि का प्रस्तुत करना—प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान ऐसे समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा कि उस निमित्त विहित किया जाए, प्राधिकार या राज्य परिषद को ऐसे विवरणियां या आंकड़े तथा अन्य सूचना ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

37. निर्देश देने की शक्ति—इस विनियमन के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकार के पास लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के उचित कामकाज के लिए रिटर्न, आंकड़े और अन्य जानकारी प्रस्तुत करने सहित ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी और ऐसे निर्देश बाध्यकारी होंगे।

38. प्राधिकार के कर्मचारी इत्यादि का लोक सेवक होना—प्राधिकरण और राज्य परिषद का प्रत्येक कर्मचारी, इस विनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय या विनियम का तात्पर्य रखते हुए, भारतीय न्याय संहिता के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

39. कठिनाइयों का निराकरण—(1) यदि इस विनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो स्वास्थ्य विभाग, आदेश या अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस विनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सरकार के सचिव।

लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के औपबधिक/स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

1. प्रतिष्ठान का नाम:-----

2. पता:-----

गाँव/शहर : ----- ब्लॉक : ----- जिला : ----- राज्य : ----- पिन कोड : -----

फ़ोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ): मोबाइल : ----- फ़ैक्स : -----

ईमेल आईडी : ----- वेबसाइट (यदि कोई हो)-----

3. आरंभ वर्ष : -----

4. स्थान : ----- ग्रामीण ----- शहरी -----

5. स्वामित्व
सार्वजनिक क्षेत्र

केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय सरकार-कृपया निर्दिष्ट करें :- सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेलवे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) स्वायत्त संगठन कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):

प्राइवेट सेक्टर

व्यक्तिगत स्वामित्व/पंजीकृत भागीदारी/पंजीकृत कंपनी/सहकारी समिति

सेंट्रल, प्रोविशियल या स्टेट एक्ट/रूल के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्ट/चौरिटेबल (कृपया बताएं): कोई अन्य (कृपया बताएं) : -----

6. लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के मालिक का नाम -----

शैक्षणिक योग्यता -----

पता : -----

गाँव/शहर : ----- ब्लॉक : -----

जिला : ----- राज्य : ----- पिन कोड : -----

टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ): मोबाइल : ----- फ़ैक्स : -----

ईमेल आईडी : -----

7. लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के इंचार्ज व्यक्ति का नाम : -----

पद का नाम : -----

पता : -----

गाँव/शहर : ----- ब्लॉक : -----

जिला : ----- राज्य : ----- पिन कोडरू -----

टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ): मोबाइल : -----

फ़ैक्स ----- ईमेल आईडी : -----

8. चिकित्सा पद्धति : (जो भी लागू हो, कृपया उसे टिक करें)
एलोपैथी आयुर्वेद यूनानी सिद्ध होम्योपैथी योग और प्राकृतिक चिकित्सा

9. प्रतिष्ठान का प्रकार: (जो भी लागू हो, उसे टिक करें)
बाह्य रोगी देखभाल प्रदान करना :-
एकल चिकित्सक पॉलीक्लिनिक उप-केंद्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक
व्यावसायिक चिकित्सा बांझपन दंत चिकित्सा क्लिनिक
औषधालय डायलिसिस केंद्र
एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (आईसीटीसी) वेलनेस/फिटनेस केंद्र
कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): -----

रोगी देखभाल प्रदान करना :-
अस्पताल नर्सिंग होम प्रसूति गृह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेनेटोरियम कोई और (कृपया बताएं) : ----- टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक सर्विस देना प्रयोगशाला पैथोलॉजी हेमेटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स कलेक्शन केंद्र कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): -----

डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सेंटर

एक्स रे सेंटर मैमोग्राफी बोन डेंसिटोमेट्री सोनोग्राफी

कलर डॉप्लर सीटी स्कैन मैग्नेटिक रेजोनंस इमेजिंग (एमआरआई)

पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) स्कैन

इलेक्ट्रो मायो ग्राफी (ईएमजी)

कोई और (कृपया बताएं): -----

कोई और (कृपया बताएं): -----

10. सेवा का प्रकार (जो भी लागू हो, कृपया टिक करें)

सभी चिकित्सा प्रणालियों के लिए सामान्य एकल विशेषता बहु विशेषता सुपर विशेषता मोबाइल

a) एलोपैथी

सामान्य अभ्यास बाह्य-रोगी आंतरिक-रोगी दिवस देखभाल केंद्र

आपातकालीन/आकस्मिक आईसीयू आईसीसीयू

विकलांग व्यक्ति के लिए विशेष देखभाल सेवाएँ

ब्लड बैंक

अंग/ऊतक बैंक

कोई और (कृपया बताएं): _____

b) आयुर्वेद

आयुष्य चिकित्सा शल्य चिकित्सा शोधन चिकित्सा रसायन पद्धति व्यवस्था कोई और (कृपया बताएं): _____

c) यूनानी

मताब जराहत इलाज-बित-यदबीर हिफजान-ए-सेहत

कोई और (कृपया बताएं): _____

d) सिद्ध

मारुथौवन सिरप्पु

मारुथुवन वर्मन थोककनम और योग

कोई और (कृपया बताएं): _____

e) होम्योपैथी

सामान्य होम्योपैथी

कोई और (कृपया बताएं): _____

f) प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक दवाओं के साथ बाह्य चिकित्सा आंतरिक चिकित्सा

कोई और (कृपया बताएं): _____

g) योग

(कृपया बताएं): _____

आधारभूत संरचना विवरण

11. प्रतिष्ठान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) :

a) कुल क्षेत्रफल : _____

b) निर्मित क्षेत्रफल : _____

बाह्य रोगी विभाग :

12. ओपीडी क्लीनिक की संख्या :

13. ओपीडी क्लीनिकों का स्पेशलिटी के हिसाब से बंटवारा

क्रमांक	स्पेशलिटी	कमरों की संख्या

14. अन्तःरोगी विभाग:

14.1 कुल बेड की संख्या : _____

14.2 बिस्तरों का विशेषता-वार वितरण, कृपया निर्दिष्ट करें

क्रमांक	स्पेशलिटी	कमरों की संख्या

15. क्या क्लीनिक का वेस्ट डिस्पोज़ल लाइसेंस पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम वगैरह से लिया गया है ?

हाँ नहीं आवेदन किया

16. क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/अथॉरिटी से क्लियरेंस लिया गया है?

हाँ नहीं आवेदन किया

मानव संसाधन

17. स्टाफ की कुल संख्या (आवेदन की तिथि तक) :

स्थायी स्टाफ की संख्या : _____ अस्थायी स्टाफ की संख्या _____ कृपया नीचे जानकारी दें :-

कर्मचारियों की श्रेणी	नाम	योग्यता	रजिस्ट्रेशन नंबर (जहां लागू हो)	सेवा की प्रकृति अस्थायी/स्थायी
डॉक्टरों				
नर्सिंगस्टाफ				
पैरा-मेडिकल स्टाफ				
फर्मासिस्टों				
सहयोगी कर्मचारी – वर्ग				
अन्य कृपया निर्दिष्ट करें				

अलग से एनेक्सर अटैच किया जा सकता है।

18. पंजीकरण शुल्क का भुगतान:

ऑनलाइन भुगतान

राशि (रु० में): _____

विवरण: _____

मैं, _____ अपनी और कंपनी/सोसाइटी/एसोसिएशन/निकाय की ओर से एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं और मैं बिहार लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियम 2026 के सभी प्रावधानों का पालन करूँगा/करूँगी।

मैं वादा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में मैं सही सूचना ससमय पंजीकरण प्राधिकार को बताऊँगा/दूँगी।

स्थान—

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :—

कार्यालय का मुहर

अनुलग्नक— 2

औपबंधिक/स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र
लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकरण हेतु

औपबंधिक/स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या:

जारी करने की तिथि:

मान्य:

1. लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का नाम:_____

2. पता:_____

3. लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के मालिक का नाम:_____

4. प्रभारी व्यक्ति का नाम:_____

5. चिकित्सा प्रणाली:_____

6. प्रतिष्ठान का प्रकार:_____

लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना और पंजीकरण) विनियम 2026 के प्रावधानों के तहत औपबंधिक/स्थायी रूप से पंजीकृत किया जाता है। यह प्राधिकार विनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

जारीकर्ता प्राधिकरण का पदनाम

स्थान और दिनांक :

जिला पंजीकरण प्राधिकरण

पता:

शिकायत के मामले में फ़ोन नंबर

अपील के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य परिषद,
(लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान)
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार. पटना ।

महोदय,

मैं, डॉ., निवासी ने "लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना और पंजीकरण) विनियम 2026" के तहत, ... पर स्थित अपने के पंजीकरण हेतु आवेदन किया था / एक वैध लाइसेंस धारक हूँ, जिसका पंजीकरण क्रमांक है।

मुझे जिला प्राधिकार के पत्र क्रमांक दिनांक के अनुसार सूचित किया गया कि,

- i) कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है,
- ii) कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया गया है
- iii) कि मुझे लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान चलाने से रोका गया है।
- iv) कि मुझ पर इस विनियम के तहत जुर्मा के लिए पेनल्टी लगाई गई है
- v) कोई अन्य

जिला प्राधिकार का ऊपर दिया गया फैसला सही नहीं लगता। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नीचे दिए गए कारणों से मेरे आवेदन पर विचार करें;

- i)
- ii)
- iii)

अगर आवश्यक हुआ तो मैं आपके सामने व्यक्तिगत रूप में सुनवाई के लिए पेश होने को तैयार हूँ। मैं इसके साथ 1000 रुपये का शुल्क भी जमा कर रहा हूँ।

धन्यवाद,

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख :

The 3rd June 2026

**BIHAR SMALL AND MEDIUM HEALTHCARE ESTABLISHMENT
(ESTABLISHMENT AND REGISTRATION) REGULATION 2026**

No.-18/ Vividh-18/2025/555 (18) Health—In exercise of the powers conferred by proviso to Article- 162 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following regulation for regulating the establishment and registration of Small and Medium Healthcare establishments.

CHAPTER –I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement —

- (1) This regulation shall be called Bihar Small and Medium Healthcare Establishment (Establishment and Registration) Regulation 2026.
- (2) This shall extend to the whole state of Bihar and shall be applicable to all the Small and Medium Health care Establishment in the state of Bihar.
- (3) This shall come into force from the date of publication in Bihar Gazette.
- (4) This Regulation shall not be a part of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 of Government of India or Bihar Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013.

2. Definitions – Unless there in anything repugnant to the Subject or Context, in these Regulations-

- (a) "*Authority*" means the district registering authority set-up under provision 4 of this Regulation.
- (b) "*Certificate of provisional registration*" means certificate of provisional registration issued under provision 9 of this Regulation.
- (c) "*Certificate of permanent registration*" means certificate of permanent registration issued under provision 22 of this Regulation.
- (d) "*Healthcare Establishment or Small and Medium Healthcare Establishment*" means- a hospital, maternity home, nursing home, sanatorium of 1-40 bed/s capacity with or without Day-care medical Services/OPD Clinics/ Dispensary/Dental Clinics/ Diagnostic Services, by whatever name called that offers services, facilities requiring diagnosis, treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicine, established and administered or maintained by any person or body of persons, whether incorporated or not; or
 - (ii) a place established as an independent entity or part of an establishment referred to in sub-provision (i), in connection with the diagnosis or treatment of diseases where pathological, bacteriological, genetic, radiological, chemical, biological investigations or other diagnostic or investigative services with the aid of laboratory or other medical equipment, are usually carried on, established and administered or maintained by any person or body of persons, whether incorporated or not, or,
 - (iii) standalone OPD Clinics/Dispensary/Dental Clinics established and administered or maintained by any person or body of persons, whether incorporated or not.

and shall include a small and medium healthcare establishment owned, controlled or managed by—

- (a) the Government or a department of the Government;
- (b) a trust, whether public or private;

- (c) a corporation (including a society) registered under a Central, Provincial or State Act/Rule, whether or not owned by the Government;
- (d) a local authority; and
- (e) a single doctor,

but does not include the small and medium healthcare establishments owned, controlled or managed by the Armed Forces.

- (e) “*Recognized System of Medicine*” means Allopathy, Yoga & Naturopathy, Ayurveda, Homoeopathy, Siddha and Unani System of medicines or any other system of medicine as may be recognized by the Central Government from time to time.
- (f) “*Healthcare Practitioner*” means a licensed professional authorized by a state or national council to provide health services, such as diagnosis and treatment and possess qualifications in recognized systems (e.g., Allopathy, Ayurveda, Homoeopathy) and are registered with relevant government medical councils.
- (g) “*Register*” means the register maintained by the authority, containing the number of Small and Medium Healthcare establishments registered under provision 27 of this Regulation.
- (h) “*Registration*” means to register under provision 5 of this regulation with registering authority.
- (i) “*Regulation*” means The Bihar Small and Medium Healthcare Establishment (establishment and registration) regulation 2026
- (j) “*Standards*” means the conditions as set by Health Department, Bihar for the registration of Small and Medium Healthcare establishments from time to time.
- (k) “*State Government*” means Government of Bihar.
- (l) “*Directorate*” means Directorate of Health Services, Bihar.
- (m) “*Annexure*” means the Annexures appended to this Regulation.

CHAPTER II

THE STATE COUNCIL AND DISTRICT REGISTERING AUTHORITY FOR SMALL AND MEDIUM HEALTHCARE ESTABLISHMENT

3. State Council of Small and Medium Healthcare Establishment — (1) State Government shall by notification constitute a State Council for Small and Medium Healthcare Establishment.

(2) The State Council shall consist of the following members, namely: —

- (a) Special Secretary/Additional Secretary, Health—*ex officio* Chairman;
 - (b) Director-in- Chief (Administration), Directorate of Health Services—*ex officio* member
 - (c) One AYUSH Medical Officer (nominated by Health Department) - Member
 - (d) One Deputy Secretary Rank Officer (nominated by Health Department) - Member Secretary
 - (e) One representative of IMA – as Member
- (3) The nominated member of the State Council shall hold office for a term of three years, but shall not be eligible for re-nomination. The nomination of Ayush Medical Officers shall be in a rotational manner across the various disciplines of Ayush.

- (4) The State Council shall perform the following functions, namely: —
- (a) Compiling and updating the State Register of Small and Medium Healthcare Establishment;
 - (b) Hearing of appeals against the orders of the authority; and
 - (c) Publication on annual basis a report on the state of implementation of standards within State.

4. Authority for registration—(1) The State Government shall, by notification, set-up an authority to be called the district registering authority for each district for registration of Small and Medium Healthcare Establishment, with the following members, namely: —

- (a) Civil Surgeon-cum- Chief Medical Officer of respective district- Chairperson;
- (b) District Indigenous Medical Officer of respective district — member
- (c) One representative of IMA – member

5. Registration for healthcare establishments— No person shall run a healthcare establishment unless it has been duly registered in accordance with the provisions of this Regulation.

6. Condition for registration—(1) For registration and continuation, every small and medium healthcare establishment shall fulfil the following conditions, namely: —

- (i) The minimum standards of facilities and services, minimum requirement of personnel and provisions for maintenance of records and reporting as may be prescribed by the Health Department, Bihar by separate order,
- (ii) Such other conditions as may be prescribed by Health Department, Bihar by separate order.
- (iii) Availability of at least one Healthcare Practitioner in concerned recognised system of medicine during service hour of the healthcare establishment. The name of Healthcare Practitioner on duty shall be displayed prominently in such manner so as to be visible to everyone visiting such establishment.

7. Classification of small and medium healthcare establishments — (1) Small and medium healthcare establishment of different systems shall be classified into such categories, as may be directed by the State Government, from time to time.

- (2) Different standards may be prescribed for classification of different categories referred to in sub-provision (1) above.

CHAPTER III

PROCEDURE FOR REGISTRATION

8. Application for provisional certificate of registration — (1) For the purpose of registration an application in annexure 1 shall be made to the authority. The application shall be accompanied with a fee of Rs. 500 and such details as is prescribed in annexure 1.

- (2) The application shall be submitted online.
- (3) If any healthcare establishment is in existence at the time of the commencement of this Regulation or before the start of online registration service under this regulation, an application for its provisional registration shall be made within three months from the date of start of online registration service under this Regulation and a new healthcare establishment which comes into existence after commencement of online registration service under this Regulation, shall get provisional registration prior to start of the healthcare establishment.

- (4) If any small and medium healthcare establishment is already registered under the Bihar Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013 shall be deemed registered under this regulation.

However, if any small and medium healthcare establishment is already registered under any existing law, except Bihar Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2013, even then it shall apply for registration as referred to in sub-provision (1) above.

9. **Certificate of provisional registration** —The authority shall, within a period of fifteen days from the date of receipt of such application, grant to the applicant a certificate of provisional registration in the format annexed as annexure 2. If the provisional registration certificate shall not be granted by the authority within stipulated time period, the healthcare establishment shall be considered provisionally registered.
10. **No inquiry prior to provisional registration** — The authority shall not conduct any inquiry prior to the grant of provisional registration.
11. **Validity of provisional registration** — Every provisional registration shall be valid for one year from the date of issue of the certificate of registration and such registration shall be renewable for next two terms for one year each. It shall be mandatory for the healthcare establishment to obtain permanent registration certificate from the respective Authority within this stipulated period of three years.
12. **Display of certificate of registration** —The certificate shall be kept affixed in a conspicuous place in the healthcare establishment in such manner so as to be visible to every one visiting such establishment.
13. **Duplicate certificate** — In case the certificate is lost, destroyed, mutilated or damaged, the authority shall issue a duplicate certificate on the request of the healthcare establishment and on the payment a fees of Rs.500.
14. **Certificate to be non-transferable** — (1) The certificate of registration shall be non-transferable.
 (2) In the event of change of ownership or management, the small and medium healthcare establishment shall inform the authority, within 30 days of such change.
 (3) In the event of change of category, or location, or on ceasing to function as a small and medium healthcare establishment, the certificate of registration in respect of such small and medium healthcare establishment shall be surrendered to the authority and the small and medium healthcare establishment shall apply afresh for grant of certificate of registration.
15. **Publication of expiry of registration** — The authority shall publish the names of small and medium healthcare establishments, by 31st December every calendar year, whose registration has expired or suspended or cancelled.
16. **Renewal of registration** — The application for renewal of provisional registration shall be made thirty days before the expiry of the validity of the certificate of provisional registration along with a fee of Rs. 500 and in case the application for renewal is made after the expiry of the provisional registration, the authority shall allow renewal of registration on payment of a fee of Rs. 500 and a late fee of Rs. 500.
17. **Application for permanent registration**—Application for permanent registration by a healthcare establishment shall be made to the authority in prescribed form annexed as annexure 1, and be accompanied by a fee of Rs. 500.

18. **Verification of application** — The healthcare establishment shall submit evidence of having complied with the prescribed minimum standards in such manner, as may be prescribed by Health Department, Bihar.
19. **Communication of objections** — If any objections against any healthcare establishment are received within 30 days of application, such objections shall be communicated to the healthcare establishment for response within a period of forty-five days failing which the application/registration may be liable for rejection/ cancellation.
20. **Standards for permanent registration** — Permanent registration shall be granted only when a small and medium healthcare establishment fulfils the standards for registration as may be prescribed by Health Department, Bihar.
21. **Allowing or disallowing of registration** — The authority shall pass an order immediately after the expiry of the prescribed period and within the next thirty days thereafter either—
 - (a) allowing the application for permanent registration; or
 - (b) disallowing the application:

Provided that the authority shall give the institution a reasonable opportunity of being heard prior to rejecting the application. The rejection shall be effected by passing a reasoned order.
22. **Certificate of permanent registration** — (1) The authority shall, if it, allows an application for registration of the small and medium healthcare establishment, issue a certificate of permanent registration in prescribed form, annexed as annexure 2.
 - (2) The certificate shall be permanent in nature unless suspended or cancelled by the issuing authority.
23. **Fresh application for permanent registration** — The disallowing of an application for permanent registration shall not debar a small and medium healthcare establishment from applying afresh for permanent registration after providing such evidence, as may be required, of having rectified the deficiencies on which grounds the earlier application was disallowed.
24. **Cancellation of registration** — (1) If, at any time after any healthcare establishment has been registered, the authority is satisfied that, —
 - (a) the conditions of the registration are not being complied with; or
 - (b) the person entrusted with the management of the healthcare establishment provided wrong or misleading information, it may issue a notice to the healthcare Establishment to show as to why its registration under this Regulation should not be cancelled for the reasons to be mentioned in the notice.
 - (2) If after giving a reasonable opportunity to the small and medium healthcare establishment, the authority is satisfied that there has been a breach of any of the provisions of this Regulation, it may, by an order, without prejudice to any other action that it may take against such healthcare establishment, cancel its registration.
 - (3) Every order made under sub-provision 24(2) above shall take effect—
 - (a) where no appeal has been preferred or opted against such order immediately on the expiry of the period decided by authority for such appeal; and
 - (b) where such appeal has been preferred and it has been dismissed from the date of the order of such dismissal:

Provided that the authority, after cancellation of registration for reasons to be recorded in writing, may restrain immediately the small and medium healthcare establishment from carrying out its activity, if there is imminent danger to the health and safety of patients.

25. **Power to enter** - (1) Entry and search of the clinical establishment can be done by the District Authority or an officer or team duly authorized by it or subject to such general or special orders as may be made by the authority. Such a decision will be required to be taken by majority of members of the District Authority.
- (2) Such entry and search of clinical establishments can be conducted if anyone is carrying on a clinical establishment without registration or does not adhere to the prescribed minimum standards or has reasonable cause to believe the clinical establishment is being used for purposes other than it is registered or contravenes any of the provisions of this Regulation, shall at all reasonable times enter and inspect any record, register, document, equipment and articles as deemed necessary.
- (3) The inspection team shall intimate the establishment in writing about the date of visit and reasons for the inspection. The team shall examine all portions of the premises used or proposed to be used for the clinical establishment and inspect the equipment, furniture and other accessories and enquire into the professional qualifications of technical staff employed or to be employed and shall make any such other enquires as they consider necessary to verify the statements made in the application for registration and grant of license. All persons connected with the running of the establishment shall be bound to supply full and correct information to the inspection team.
- (4) The officer and/or inspection team so constituted by the Authority shall submit a report within a week of the inspection to the Authority for the appropriate action.
26. **Appeal** — (1) Any person, aggrieved by an order of the registering authority refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking a certificate of registration may prefer an appeal to the State Council within 30 days and in prescribed form, annexed as annexure 3.
- Provided that the State Council may entertain an appeal preferred after the expiry of the prescribed period if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.
- (2) Every appeal under sub-provision (1) above shall be made in annexure 3 and be accompanied with a fee of Rs.1000.

CHAPTER IV

REGISTER OF HEALTHCARE ESTABLISHMENTS

27. **Register of small and medium healthcare establishments**—(1) The authority shall within a period of one year from its establishment, compile, publish and maintain in digital format a register of small and medium healthcare establishments, registered by it and it shall enter the particulars of the certificate so issued in a register to be maintained in such form and manner, as prescribed by Directorate of Health Services, Bihar.
- (2) Each authority, including any other authority set-up for the registration of small and medium healthcare establishments under any other law for the time being in force, shall supply in digital format to the State Council of small and medium healthcare

establishments a copy of every entry made in the register of small and medium healthcare establishments in such manner, as may be prescribed to ensure that the State Register is constantly up-to-date with the registers maintained by the registering authority in the State.

- 28. Maintenance of State Register of small and medium healthcare establishments** — Health Department, Bihar shall maintain in digital form and in such form and containing such particulars, as may be prescribed by the Government a register to be known as the State Register of healthcare establishments.

CHAPTER V PENALTIES

- 29. Penalty** —Whoever contravenes any provision of this regulation shall, if no penalty is provided elsewhere, be punishable, by Registering Authority for the first violation with a fine of ten thousand rupees, for any second violation with a fine of twenty-five thousand rupees and for any subsequent violation with a fine of fifty thousand rupees.
Despite this, if the healthcare establishment continues to contravene the provision of this regulation, their registration shall be suspended until the provisions of this regulation are not complied with.
- 30. Monetary penalty for non-registration** — (1) Whoever run a healthcare establishment without registration shall, on first contravention, be liable to a monetary penalty of ten thousand rupees, for second contravention with a monetary penalty of twenty-five thousand rupees and in case of any subsequent contravention such healthcare establishment shall be sealed and legal action may be initiated under the relevant section of Bhartiya Nyaya Samhita by the Authority.
(2) Any person aggrieved by the decision of the authority may prefer an appeal to the State Council within a period of three months from the date of the said decision.
- 31. Disobedience of direction, obstruction and refusal of information** — (1) Whoever wilfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this Act to give such direction, or obstructs any person or authority in the discharge of any functions which such person or authority is required or empowered under this regulation to discharge, shall be liable to a monetary penalty which may extend to five lakh rupees.
(2) Whoever being required by or under this Regulation to supply any information wilfully withholds such information or gives information which he knows to be false or which he does not believe to be true, shall be liable to a monetary penalty which may extend to five lakh rupees.
(3) For the purpose of adjudging under sub-provision (1) and (2), the authority shall hold an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any monetary penalty.
(4) While determining the quantum of monetary penalty, the authority shall take into account the category, size and type of the healthcare establishment and local conditions of the area in which the establishment is situated.
(5) Any person aggrieved by the decision of the authority may prefer an appeal to the State Council within a period of three months from the

date of the said decision.

- (6) The manner of filing the appeal referred to in sub-provision (5) above shall be such as may be prescribed.

32. Contravention by companies — (1) Where a person committing contravention of any of the provisions of this Regulation is a company, every person who, at the time the contravention was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to fine.

Provided that nothing contained in this sub-provision shall render any such person liable to any punishment if he proves that the contravention was committed

without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such contravention.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-provision (1) above, where a contravention of any of the provisions of this regulation has been committed by a company and it is proved that the contravention has taken place with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any official or partner or Director shall also be deemed to be guilty of that contravention and shall be liable to fine.

Explanation —For the purpose of this provision, —

“company” means a body corporate and includes a firm or other association of individuals.

33. Contravention by Government Departments — (1) Where any violation of the provisions of these regulation is committed by any Government healthcare establishment, the Head of such Government healthcare establishment may be liable for disciplinary proceedings as per the service rule.

Provided that nothing contained in this provision shall render such Head of the healthcare establishment liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-provision (1), where an offence under this Regulation has been committed by a healthcare establishment and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the healthcare establishment, such officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

34. Recovery of fine — Whoever fails to pay the fine, the State Council of small and medium healthcare establishment may prepare a certificate signed by an officer authorised by it specifying the fine due from such person and send it to the Collector of the District in which such person owns any property or resides or carries on his business and the said Collector, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder, as if it were an arrear of land revenue.

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

- 35. Protection of action taken in good faith.**—(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any authority or any member of the State Council or District Authority any officer authorised in this behalf in respect of anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this regulation.
- (2) No suit or other legal proceedings shall lie against State Government in respect of any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Regulation.
- 36. Furnishing of returns, etc** — Every healthcare establishment shall, within such time or within such extended time, as may be prescribed in that behalf, furnish to the authority or the State Council such returns or the statistics and other information in such manner, as may be prescribed by the State Government, from time to time.
- 37. Power to give directions** — Without prejudice to the foregoing provisions of this regulation, the authority shall have the power to issue such directions, including furnishing returns, statistics and other information for the proper functioning of small and medium healthcare establishments and such directions shall be binding.
- 38. Employees of the authority, etc., to be public servants** — Every employee of the authority, and the State Council shall be deemed to, when acting or purporting to regulation in pursuance of any of the provisions of this Regulation, be public servants within the meaning of Bhartiya Nyaya Samhita.
- 39. Power to remove difficulties** — (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Regulation, the Health Department may, by order/notification, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Regulation as may appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सरकार के सचिव।

Application form for Provisional/Permanent Registration of Small and medium healthcare establishments

1.Name of the establishment: -----

2.Address: -----

Village/Town: _____ Block: _____ District: _____ State: _____ Pin
code: _____ Tel No(With STD code): Mobile: _____ Fax _____

Email ID:-----Website(if any)-----

3. Year of starting: _____

4. Location: Rural _____ Urban _____

5. Ownership

Public Sector

Central government state Government Local government-please specify: _ Public Sector
Undertaking Railways Employee State Insurance Corporation (ESIC) Autonomous
organization Any other(please specify):

Private Sector

Individual Proprietorship/ Registered Partnership/ Registered Company/ Co-operative
society

Trust/ Charitable registered under a central, Provincial or State Act/Rule (Please specify): _
Any other (please specify): _____

**6.Name of the owner for Small and medium healthcare
establishment:** _____

Educational Qualification _____

Address: _____

Village/Town: _____ Block: _____

District: _____ State: _____ Pin

Code: _____

Tel No(With STD code): Mobile: _____ Fax _____

Email

ID: _____

7. Name of person in-charge of the Small and medium healthcare establishment:

Designation: _____

Address: _____

Village/Town: _____ Block: _____

District: _____ State: _____ Pin

Code: _____

Tel No(With STD code): Mobile: _____ Fax _____

Email

ID: _____

8. Systems of Medicine offered:(please tick whichever is applicable)

Allopathy Ayurveda Unani Siddha Homeopathy Yoga & Naturopathy

9. Type of Establishment: (please tick whichever is applicable)

Providing Out Patient Care

Single practitioner Polyclinic Sub-Centre
 Physiotherapy Clinic
 Occupational Therapy Infertility Dental clinic
 Dispensary Dialysis Centre
 Integrated Counselling and Testing Centre (ICTC) Wellness/fitness centre
 Any other (please specify): _____

Providing In Patient Care

Hospital Nursing Home Maternity Home Primary Health Centre
 Community Health Centre Sanatorium

Any other (please specify): _____ Providing Testing & Diagnostic Services:

Laboratory Pathology Haematology Biochemistry Microbiology Genetics Collection Centre Any other (please specify): _____

Diagnostic and Imaging Centre

X Ray centre Mammography Bone Densitometry

Sonography

Colour Doppler CT Scan Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Positron Emission Tomography (PET) Scan

Electro MyoGraphy (EMG)

Any other (please specify): _____

Any other (please specify): _____

10. Nature of Services (please tick whichever is applicable)

For all Systems of Medicine

General Single Specialty Multi Specialty Super Specialty

Mobile

a) Allopathy

General Practice Out-Patient In-patient Day care centre

Emergency/Casualty ICU ICCU

Special care Services for challenged person Blood Bank

Organ/Tissue Bank

Any other (please specify): _____

b) Ayurveda

Ausadh Chikitsa Shalya Chikitsa Shodhan Chikitsa Rasayana Pathya

Vyavastha

Any other (please specify): _____

c) Unani

Matab Jarahat Ilaj-bit-Tadbeer Hiffzan-e-Sehat

Any other (please specify): _____

d) Siddha

Maruthauvan Sirappu Maruthuvan Varman Thokkanam & Yoga

Any other (please specify): _____

e) Homeopathy

General Homeopathy

Any other (please specify): _____

f) Naturopathy

Extrenal Therapies with natural modalities Internal therapies

Any other (please specify): _____

g) Yoga (please specify): _____

NFERASTURUCTURE DETAILS

11. Area of the establishment (in sq. meters) :

a) Total Area : _____ b) Constructed area : _____

Out Patient Department :

12 Total no. of OPD Clinics :

13. Specialty-wise distribution of OPD Clinics

S.No.	Specialty	No. of Rooms

14. In Patient Department:

14.1 Total no. of beds: _____

14.2 Specialty-wise distribution of beds] please specify

S.No.	Specialty	No. of Rooms

15. Whether Clinics Waste Disposal Licence obtained from Panchayat/ Municipality/ Municipal Corporation etc?

Yes No Applied For

16. Whether clearance from Pollution Control Board/ Authority obtained?

Yes No Applied For

HUMAN RESOURCES

17. Total number of Staff (as on date of application):

No. of permanent staff: _____ No. of temporary staff _____ Please furnish the following details:-

Category of staff	Name	Qualification	Registration Number (Where applicable)	Nature of service Temporary/Permanent
Doctors				
Nursing staff				
Para-medical staff				
Pharmacists				
Support Staff				
Others, please specify				

Separate annexure may be attached.

18. Payment options for Registration Fees:

Online payment

Amount (in Rs): _____

Details: _____

I, ... on behalf of myself and the company/society/association/body hereby declare that the statements above are correct and true to the best my knowledge and I shall abide by all the provisions of Bihar small and medium healthcare establishment (establishment and registration) regulation 2026

I undertake that I shall intimate to the appropriate registering authority any change in the particulars given above.

Place:

Signature of the Authorized Signatory

Date:-

Office seal

Annexure - 2

**PROVISIONAL/PERMANENT CERTIFICATE
FOR REGISTRATION OF SMALL AND MEDIUM HEALTHCARE
ESTABLISHMENT**

Provisional/Permanent registration no:

Date of issue:

Valid up to:

1. Name of the Small and medium healthcare establishment: _____
2. Address: _____
3. Owner of the Small and medium healthcare establishment: _____
4. Name of Person In-charge: _____
5. System of Medicine: _____
6. Type of Establishment: _____

is hereby provisionally registered under the provisions of Small and medium healthcare establishment (establishment and registration) Regulation 2016. This authorization is subject to the conditions as specified in the regulation.

Designation of the issuing Authority

Place & Date:

District Registration Authority

Address:

Phone number in case of Grievances

Application for Appeal

To

The State council,
Government of Bihar.

Sir,

I, Dr., of. had applied for registration/ is a valid licenseholder with registration number Under small and medium healthcare establishments (establishment and registration) regulation 2026 for my..... located at

I was Communicated by the district authority as per letter no.....dated..... thateither,

- i) That my application was rejected
- ii) That my registration is cancelled
- iii) That I am restrained from carrying on with the running of small and medium healthcare establishment
- iv) That I am charged with a penalty for an offence under the act
- v) Any other

The above decision of the district authority appears to be not valid. I request you to consider my application as per the justifications mentioned below;

- i)
- ii)
- iii)

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary. I am enclosing here with a draft of Rs. 1000/-

Thanking you,

Place:

Signature

Date:

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 570-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>